मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल–462 011

Tel. No.: (O) 0755-2572207, (F) 2573396 E-mail: ceomprrda@gmail.com

क्रमांक : 12199 /22/वि–12/ग्रासप्रा/5–171/FA/19 भोपाल, दिनांक 05/09/2019

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र.ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण
जिला .... (म.प्र.)

विषय :– परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में महाप्रबंधक द्वारा सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्रियों के बीच कार्य विभाजन के संबंध में।

संदर्भ :–
1. प्राधिकरण का आदेश क्र. 3735 दिनांक 12/09/2001
2. प्राधिकरण का पत्र क्र. 13420 दिनांक 13/12/2006
3. प्राधिकरण का पत्र क्र. 6240 दिनांक 03/05/2008
4. प्राधिकरण का पत्र क्र. 12116 दिनांक 22/07/2013

––0––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्राधिकरण अंतर्गत कार्यरत परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में निर्माण कार्यो के संपादन हेतु महाप्रबंधक द्वारा सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्रियों के बीच कार्य विभाजंन के संबंध में जारी आदेशों के तारतम्य में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

A. नवीन निर्माण कार्य –

1. नवीन प्रगतिरत निर्माण कार्यो में अभियंताओं के मध्य कार्य विभाजन इस प्रकार किया जावे कि सहायक प्रबंधक के अधीन उपयंत्री (प्रतिनियुक्ति/संविदा) कार्यरत रहे ताकि लोक निर्माण विभाग मैनुअल के अनुसार कार्यो के निरीक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था बनी रहे अर्थात उपयंत्री, सहायक प्रबंधक के अधीन निर्माण कार्यों का संपादन करेगें तथा कार्य की गुणवत्ता के लिये दोनों जवाबदार रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में उपयंत्री/सहायक प्रबंधक को स्वतंत्र रूप से नवीन कार्यो का पर्यवेक्षण न सौंपा जावे।

2. कंसल्टेंट द्वारा अंकित किये गये मापों के सत्यापन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी ;

क्र.	पदनाम	मापों की जांच का प्रतिशत
1	महाप्रबंधक	10%
2	सहायक प्रब्रंधक	25%
3	उपयंत्री	50%

3. (क) **M.P.P.W.D. Manual** की कंडिका–4.040 के अनुसार **"The EE must frequently check the measurement taken by his subordinate officials."** संभवतः महाप्रबंधक इस प्रकार की चेकिंग कर भी रहे होंगे लेकिन इसका रिकार्ड नहीं रहता अतः निर्देशित किया जाता है कि महाप्रबंधकों द्वारा जो 10 प्रतिशत माप चेक किए जाने है उसमें से 5 प्रतिशत माप ऐसे कार्यो के चेक करेंगे जो उपयंत्री/सहायक यंत्री द्वारा चेक नहीं किए गए तथा 5 प्रतिशत उन कार्यो के माप चेक करेंगे जो उपयंत्री तथा सहायक यंत्री द्वारा पूर्व में चेक किए जा चुके है।

(ख) सहायक प्रबंधक द्वारा जो **25%** कार्यों के माप की जांच करनी है उसमें से वह **10%** ऐसे कार्यो के माप चेक करेंगे जो उपयंत्री द्वारा जांच किए गए है तथा शेष **15%** ऐसे कार्यो के माप चेक करेंगे जो उपयंत्री द्वारा चेक नहीं किए गए है।

4. **CPWA Code** की कंडिका–10.2.8 **(c)** के अनुसार **Asstt. Engineer** को ऐसे कार्यो, जिनके माप उनकी परिस्थिति के कारण बाद में जांच करना संभव न हो, की 100 प्रतिशत जांच करना है। तदनुसार सहायक प्रबंधक को ऐसे सभी कार्यो, जिनकी जांच बाद में करना संभव न हो की शतप्रतिशत जांच समय पर **(before these are covered)** करना आवश्यक है।

प्रभारी सहायक प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि कन्सलटेंट द्वारा नियुक्त तकनीकी अमला द्वारा अनुबंध के अनुसार मापों की जांच एवं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जा रहे है।

5. चूंकि उपयंत्री को **50%** मापों की चेकिंग करना है अतः ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिस समय कंसलटेन्ट का फील्ड इंजीनियर माप रिकार्ड करे उस समय संविदाकार का इंजीनियर अथवा संविदाकार स्वयं उपस्थित रहे तथा उनसे माप स्वीकार करा लिए जाए जिससे बाद में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो एवं उसी समय उपयंत्री द्वारा भी निर्धारित प्रतिशत मापों की चेकिंग पूर्ण कर ली जाय क्योंकि **50%** मापों की चेकिंग हेतु दोबारा संविदाकार द्वारा स्टॉफ लगाना संभवतः संभव नहीं होगा तथा समय की बर्बादी भी होगी। माप पुस्तिका में निम्नानुसार माप चेकिंग प्रमाण–पत्र अंकित किया जाय।

Measurement Taken by me	Measurement of---------Checked by me
F.E. (Name of FE) date (Name of Consultancy Firm)	S/E (Name of S/E date) (MPRRDA)

उपरोक्तानुसार इकाई का अमला मापों की न्यूनतम जांच एवं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट सुनिश्चित करेगा।

सहायक प्रबंधक तथा महाप्रबंधक द्वारा जब माप चेक किए जाएंगे तो उनके द्वारा किन–किन आयटम/चैनेज के माप चेक किए गए है का उल्लेख करते हुए अपने नाम/पदनाम/तिथि के साथ हस्ताक्षर करेंगे।

B. संधारण कार्य –

1. प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई सड़कों के संधारण कार्य हेतु अनुबंधित पैकेजों का कार्य विभाजन में सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्री के प्रभार हेतु **Single Tier** प्रथा रखी जा सकती है अर्थात संधारण अंतर्गत पैकेजों/सड़कों का प्रभार महाप्रबंधक के तार्किक विवेक अनुसार सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्री को पृथक –पृथक दिया जा सकता है। प्रगतिरत निर्माण कार्यो वाले क्षेत्र में एवं उसके समीप में स्थित संधारण कार्यो का प्रभार उसी अधिकारी को दिया जावे, जिसके पास उस क्षेत्र का नवीन कार्य आवंटित हैं। तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम कार्य आवंटन के पूर्व अभियंताओं का कार्यक्षेत्र निर्धारित किया जावे, जो कि प्रचलित कार्यो के अनुसार विकासखण्ड, तहसील अथवा उनका भाग हो सकता है, जिससे निर्माण कार्यो/संधारण कार्यो के पर्यवेक्षण के दौरान परिवहन में मितव्ययता एवं सुगमता होगी तथा संधारण कार्यो पर प्रभारी अभियंता का समुचित नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा जिसकी सूचना मुख्यालय को दी जावेगी।

2. किसी भी परिस्थिति में एक सहायक प्रबंधक/उपयंत्री के पास बहुत अधिक कार्य का प्रभार न हो अर्थात पदस्थ सभी उपयंत्री/सहायक प्रबंधक के बीच में कार्यभार समानुपातिक रूप से आवंटित किया जावे। सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्री के उपरोक्तानुसार किये गये कार्य विभाजन में एक वर्ष अथवा नवीन कार्य के लिये अनुबंधित समय तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में पूर्ण विवरण देते हुये संबंधित मुख्य महाप्रबंधक के अनुमोदन के पश्चात ही उक्त प्रभार में परिवर्तन किया जा सकेगा।

3. महाप्रबंधक योग्यता के आधार पर संधारण कार्यो का आवंटन उपयंत्री एवं सहायक प्रबंधक के मध्य करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे किंतु महाप्रबंधक कार्य में रूची न लेने वाले, कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले तकनीकी रूप से अक्षम उपयंत्रियों/सहायक प्रबंधकों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही/सेवा वापसी/सेवा समाप्ति के संबंध में, प्रस्ताव समय-समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। महाप्रबंधक, सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्री द्वारा किये गये मापों की जांच हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जावे। प्रगति भेजते समय महाप्रबंधक द्वारा मापों की, की गई जांच का विवरण जिसमें मार्ग का नाम, माप पुस्तिका क्रमांक तथा उसका पृष्ठ क्रमांक अंकित हो, मुख्यालय प्रेषित किया जावे।

उपरोक्तानुसार निर्देशों के अनुक्रम में व्यवस्था सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक का होगा। मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधकों द्वारा कार्य विभाजन के निर्देशों में शिथिलता बरते जाने की स्थिति में कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे। निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करने में किसी तरह की विरोधाभास स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में मुख्यालय को इस संबंध में विस्तृत विवरण सहित अवगत कराया जावे।

(CEO द्वारा अनुमोदित)

4.9.19

(पी.के निगम)
प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण,भोपाल

पृ.क्रमांक 12200/22/वि-12/ग्रासप्रा/5-171/FA/19 भोपाल, दिनांक 05/09/2019

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल।
2. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक (समस्त) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधि. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रबंधक (आई.टी.) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल की ओर प्राधिकरण की वेबसाईट पर परिपत्र के कॉलम में उक्त निर्देश शामिल किया जावे।
5. गार्ड फाईल।

4.9.19

प्रमुख अभियंता
म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण,भोपाल